<u>राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना</u>

बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के पैरा 181 के अनुसरण में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना मार्च, 2020 से लागू की गयी। जिसके तहत उन अधिस्वीकृत पत्रकारों को जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, को इस योजना में पात्र पत्रकार को 5,000/- रूपये प्रतिमाह सम्मान राशि दी जाती थी।

दिनांक 12.09.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय की अनुपालना में माह जनवरी, 2021 से पत्रकार सम्मान राशि 5,000/- रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000/- रूपये प्रतिमाह कर दिया गया ।

राजस्थान विधानसभा में बजट घोषणा वर्ष 2021-22 सामान्य वाद-विवाद पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 04.03.2021 को की गई घोषणा में बिन्दु संख्या 65 के तहत माह अप्रेल, 2021 से इस योजना में पात्र पत्रकार हेतु सम्मान राशि को 10,000/- रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,000/- रूपये प्रतिमाह कर दिया गया ।

यह राशि निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।

1. ऐसे पूर्णकालिक अधिस्वीकृत पत्रकार जो किसी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, स्वतंत्र पत्रकार, इलेक्ट्रोनिक

मीडिया एवं समाचार एजेन्सी में कम से कम 20 वर्षों तक सवैतनिक कार्य करते रहे हो (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार एजेन्सी के सम्पादक, प्रकाशक व मालिक सहित) और उनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो को 15,000/- रूपये प्रतिमाह की सम्मान राशि दी जायेगी।

2. यह केवल उन पत्रकारों को दी जायेगी, जिन्हें किसी समाचार पत्र अथवा संस्था आदि से वेतन/पेंशन/नियमित सहायता राशि या राज्य सरकार से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।

3. अधिस्वीकृत पत्रकार जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान से कम से कम 10 वर्ष तक अधिस्वीकृत रहे हो, इस योजना हेतु पात्र होंगे।

4. अधिस्वीकृत पत्रकार पर किसी प्रकार को कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए।

5. दिवंगत हो चुके ऐसे अधिस्वीकृत पत्रकारों को जिन्हें राजस्थान वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के अन्तर्गत सम्मान राशि स्वीकृत की गई थी, उस स्वीकृत राशि की आधी राशि का भुगतान अधिस्वीकृत पत्रकार की पत्नी को प्रतिमाह किया जायेगा।

6. यह केवल उन पत्रकारों को दी जायेगी, जिन्हें किसी समाचार पत्र अथवा संस्था आदि से वेतन/पेंशन/नियमित सहायता राशि या राज्य सरकार से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।

7. अधिस्वीकृत पत्रकार को 50/- रूपये के स्टाम्प पर शपथ-पत्र देना होगा कि वह आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता है।

8. अधिस्वीकृत पत्रकार जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान से कम से कम 10 वर्ष तक अधिस्वीकृत रहे हो, इस योजना हेतु पात्र होंगे।

9. अधिस्वीकृत पत्रकार पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए।

10. यदि लाभार्थी का आचरण पत्रकारिता के मान्य सिद्धातों, मानदण्डों के विपरीत पाया जाता है या उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है, तो यह पात्रता समाप्त की जा सकेगी। सम्मान राशि की पात्रता स्वीकृति के बाद भी किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।